

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव विद्यालय
शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।

प्रेषित

- निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
- राज्य परियोजना निदेशक एस0एस0ए0 हरियाणा, पंचकूला।

अंशा: क्रमांक 2/30-22 जी0एस0 (2)
दिनांक, चण्डीगढ़ 20.06.2022

विषय:— नया सरकारी विद्यालय खोलने एवं विद्यालय स्तरोन्नत करने हेतु RTE-2011 अनुरूप संशोधित नियम।

विषयांकित मामले में निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा के यादि क्रमांक 2/21-2008 सै0शि0 (3) दिनांक 11.10.2010 की निरन्तरता में।

सरकार द्वारा RTE-2011 अनुरूप नया प्राथमिक विद्यालय खोलने व माध्यमिक स्तर तक स्तरोन्नत करने हेतु नियमों में संशोधन करते हुए, संशोधित नॉर्मस निम्नानुसार है:—

नया विद्यालय खोलने एवं स्तरोन्नत करने हेतु नियम, 2022

क्र०	विद्यालय स्तर	छात्र संख्या	भूमि	नजदीकी विद्यालय से न्यूनतम दूरी	कक्षा कक्षा की संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु	पांच से छह वर्ष की आयु के कम से कम 30 बालक हों।	नगर पालिका क्षेत्र : 0.5 एकड़ ग्रामीण क्षेत्र : 0.5 एकड़	1 कि०मी०	5 कक्षा कक्षा (प्रति अध्यापक एक कक्षा)
2.	स्तरोन्नत प्राथमिक से माध्यमिक	प्राथमिक स्कूल में कम से कम 150 तथा कक्षा पांच में कम से कम 30 बालक हो।	नगर पालिका क्षेत्र : 0.5 एकड़ ग्रामीण क्षेत्र : 1 एकड़	3 कि०मी०	8 कक्षा कक्षा (प्रति अध्यापक एक कक्षा)

विभिन्न सुविधाओं हेतु नियम

क्र० संख्या	ब्यौरे	प्राथमिक विद्यालय	मिडल विद्यालय
1.	भूमि (नगरपालिका क्षेत्र)	0.5 एकड़ (एकल सुसम्बद्ध इकाई)	0.5 एकड़ (एकल सुसम्बद्ध इकाई)
2.	भूमि (ग्रामीण क्षेत्र)	0.5 एकड़ (एकल सुसम्बद्ध इकाई)	एक एकड़ (एकल सुसम्बद्ध इकाई)
3.	भवन	बाधा मुक्त पहुँच सभी मौसम भूकम्पसह भवन (1.12 के अनुपात में रैम्प का ढलान)	बाधा मुक्त पहुँच सभी मौसम भूकम्पसह भवन (1.12 के अनुपात में रैम्प का ढलान)
4.	कक्षा-कक्षा का आकार (आई.एस. 8827-1978 के अनुसार प्रति विद्यार्थी कम से कम 12 वर्ग फुट)	432 वर्ग फुट	432 वर्ग फुट
5.	कक्षा कक्षा की संख्या	प्रति अध्यापक एक कक्षा	प्रति अध्यापक एक कक्षा
6.	कार्यालय एवं मुख्य कक्षा	432 वर्ग फुट	432 वर्ग फुट
7.	पुस्तकालय	432 वर्ग फुट	432 वर्ग फुट
8.	प्रयोगशालाएं (विज्ञान/गणित/भूगोल/कम्प्यूटर/अन्य प्रयोगशालाओं सहित)	600 वर्ग फुट (वैकल्पिक)	600 वर्ग फुट
9.	भण्डार	375 वर्ग फुट	375 वर्ग फुट

10.	रसोई एवं भण्डार (जहां कहीं लागू हो)	270 वर्ग फुट	270 वर्ग फुट
11.	गतिविधि कक्ष (वैकल्पिक)	432 वर्ग फुट	432 वर्ग फुट
12.	बहुसाधन/एजुसेट कक्ष	600 वर्ग फुट	600 वर्ग फुट
13.	लड़कों तथा लड़कियों के लिए पृथक प्रसाधन (विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए ग्रेब रेल ला हार्डट कमोड विशेष प्रसाधन की व्यवस्था सहित)	432 वर्ग फुट	432 वर्ग फुट
14.	चारदीवारी	6 फुट ऊँचाई	6 फुट ऊँचाई
15.	बरामदा	8 फुट चौड़ा	8 फुट चौड़ा
16.	सीढ़ी (यदि कोई हो)	8 फुट चौड़ी	8 फुट चौड़ी

अन्य आवश्यक सुविधाएं:-

1. प्रत्येक कक्षा में वायुसंचार तथा प्रकाश के लिए दो दरवाजे तथा पर्याप्त खिड़कियां होगी।
2. भूमि/भवन दस्तावेजों सहित समुचित प्राधिकारणों से भूमि स्वामित्व प्रमाण (Land ownership proofs) भवन निष्पादन प्रमाण-पत्र (Building completion certificate) अवसंरचना सुरक्षा प्रमाण-पत्र (Structural safety certificate) तथा अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र (Fire safety certificate) भूमि उपयोग इत्यादि के परिवर्तन के बारे में अनुज्ञा (Permission) प्रस्तुत की जानी होगी।

17/6/22

विशेष सचिव शिक्षा
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव विद्यालय शिक्षा विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक, चण्डीगढ़ 20.06.2022

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. महाधिवक्ता हरियाणा चण्डीगढ़।
2. महालेखाकार हरियाणा चण्डीगढ़।
3. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, वित्त विभाग हरियाणा सरकार।
4. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, पी0डबल यु0डी0 (बी0 एण्ड आर0) विभाग हरियाणा सरकार।
5. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, शहरी विकास प्राधिकरण विभाग हरियाणा सरकार।
6. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास प्राधिकरण विभाग हरियाणा सरकार।
7. मुख्य प्रशासक हुड्डा हरियाणा पंचकुला।
8. इन्जीनियर-इन-चीफ पी0डबल यु0डी0 (बी0 एण्ड आर0) विभाग हरियाणा चण्डीगढ़।
9. ओ0एस0डी0/सी0एम0, हरियाणा चण्डीगढ़।
10. चीफ आर्कीटेक्चर हरियाणा चण्डीगढ़।
11. निजी सचिव/निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा विभाग हरियाणा, पंचकुला।
12. सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी/अतिरिक्त जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) हरियाणा राज्य।
13. वरिष्ठ सचिव/शिक्षा मंत्री/वित्तायुक्त शिक्षा।
14. निजी सचिव/निजी सहायक/निदेशक मौलिक शिक्षा/अतिरिक्त निदेशक।
15. तकनीकी अधिकारी आई0टी0 सैल।

17/6/22

विशेष सचिव शिक्षा
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव विद्यालय शिक्षा विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।